

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक-28-11-2025

विषय: 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान अन्तर्गत राज्य के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में डायग्नोस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Diagnostic Infrastructure- Sub Health Centres, UPHCs and BPHU) के अधिष्ठापन की योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि के आलोक में कुल 44,05,42,000/- (चौवालीस करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार) रुपए मात्र के आवंटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-25(06)ब, दिनांक-19.11.2025 एवं 15वाँ वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रक्षेत्र अनुदान अन्तर्गत राज्य के स्वास्थ्य उपकेन्द्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट में डायग्नोस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (Diagnostic Infrastructure- Sub Health Centres, UPHCs and BPHU) के अधिष्ठापन की योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विमुक्त राशि के आलोक में कुल 44,05,42,000/- (चौवालीस करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार) रुपए मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपर्युक्त स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी। स्वीकृत्यादेश में अंकित सभी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं संबंधित सभी पदाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, भारत सरकार के पत्रांक-15(2) FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक-16.07.2021 द्वारा 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा (वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26) के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वशासी निकाय के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के सुदृढीकरण हेतु निर्गत संचालन दिशा-निर्देश (Operational Guideline) के अनुरूप कार्रवाई किया जाएगा।

4. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची होंगे, जो राशि की निकासी कर इस प्रायोजन हेतु झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची के स्तर पर संधारित बैंक खाता में जमा करेंगे। राशि की निकासी संबंधित सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायेगी। बैंक खाता के संचालन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-104(5) दिनांक 14.02.2022 के द्वारा वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करते हुए पूर्व में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

Bank Account से राशि की निकासी/भुगतान/हस्तांतरण PFMS के माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

5. इस संपूर्ण राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

6. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एण्ड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची के द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित किया जाएगा, जिसके आधार पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा पंचायती राज विभाग तथा शहरी विकास एवं आवास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए संयुक्त रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया जाएगा।

7. 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभिन्न स्वास्थ्य संरचनाओं के लिए स्वीकृत राशि का उपयोग संबंधित जिला परिषद् के माध्यम से आई०पी०एच०एस० मानकों के अनुसार अनुमोदित प्राक्कलन में वर्णित प्राक्कलित विशिष्टियों एवं गुणवत्ता के अनुरूप यथा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा।

इस क्रम में संबंधित जिला परिषद् के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत की गयी योजना का कार्यान्वयन किसी अन्य योजना से नहीं किया जा रहा है ताकि योजना के दोहरीकरण की किसी भी संभावना को समाप्त किया जा सके।

8. 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित स्वास्थ्य अनुदान के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन में भारत सरकार द्वारा निर्गत तकनीकी एवं संचालन दिशा निर्देशों (Technical and Operational Guidelines of XV-FC Health Grant) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

9. आवंटित राशि का व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि से किया जाएगा:-

क्र०	बजट शीर्ष	आवंटित राशि
1	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-89-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (20सी -2210-01-110-89-01-06-79)	168860000/-
2	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-89-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (20सी -2210-01-789-89-01-06-79)	109138000/-
3	2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01- शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-89- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान-06-अनुदान-79-सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन) (20सी -2210-01-796-89-01-06-79)	162544000/-
	कुल योग	440542000/-

10. योजनाओं का क्रियान्वयन कराते समय उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने हेतु उच्चतम मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन/उनकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए संबंधित पदाधिकारी/तकनीकी पदाधिकारी एवं अभिकर्ता भी सामान रूप से उत्तरदायी होंगे।

11. आवंटित अनुदान राशि की निकासी वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र (अनुदेश) सं०-2561/वि० दिनांक-17.04.98 में सन्निहित प्रक्रियाओं एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव

(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

12. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-759/वि० दिनांक-20.03.2015 की कंडिका-5 (iii) के आलोक में स्वीकृत सहायता अनुदान की राशि के विपत्र पर सक्षम प्राधिकार या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर के पश्चात विपत्र कोषागार में कोषागार संहिता-2016 के अनुरूप संबंधित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची द्वारा स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में टी0भी0नं0 एवं तिथि सहित महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को भेजते हुए उसकी एक प्रति स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. भारतीय अंकेंक्षण एवं लेखा विभाग तथा राज्य वित्त (अंकेंक्षण) विभाग को इससे संबंधित पुस्तकों/पंजियों की जाँच पड़ताल एवं अंकेंक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-759/वि० दिनांक-20.03.2015 (कंडिका-5) के आलोक में स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

16. संबंधित कोषागार पदाधिकारी, द्वारा वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं०-759/वि० दिनांक-20.03.2015 के आलोक में आवंटित राशि की निकासी सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वासभाजन,


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

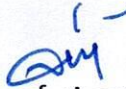
ज्ञापांक-

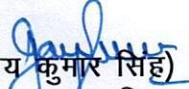
राँची, दिनांक:-28-11-2025

प्रतिलिपि: 32 (6) क

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची।
2. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।
5. प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची।
6. सी०ई०ओ०-सह-निदेशक, राँची स्मार्ट सिटी निगम, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची।
7. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड।
8. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नामकुम, राँची।
9. प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, राँची।
10. राज्य आर०सी०एच० पदाधिकारी, नामकुम, राँची।
11. सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड।
12. अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
13. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड।
14. प्रभारी पदाधिकारी, पी०एम०यू० कोषांग, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ध्रुव प्रसाद)
उप सचिव


(विद्यानंद शर्मा पंकज)
अपर सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Health , Medical Education and Family Welfare Department

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 5/P-CS-81/2023/32(6)B

दिनांक - 01-Dec-2025

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 20 22100111089010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 110 - अस्पताल तथा औषधालय 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : NA Central Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74973	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	168,860,000.00 रुपये सोलह करोड अठ्यासी लाख साठ हजार
2	C 20 22100178989010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : NA Central Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74974	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	109,138,000.00 रुपये दस करोड इनकानवे लाख अठतीस हजार
3	C 20 22100179689010679 2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 01-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान 06 - अनुदान Central Scheme State Scheme : NA Central Scheme : GRANTS FOR HEALTH SECTOR(3933)	74975	DRNMED124 DR.SIDDHARTHA SANYAL DI.IN.CHIEF H.DIRT.JHAR.RANCHI 79 - सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	162,544,000.00 रुपये सोलह करोड पच्चीस लाख चवालीस हजार

योग: रुपये चवालीस करोड पॉच लाख बयालीस हजार
क्रमिक योग:

440,542,000.00

(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

● वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 110 - अस्पताल तथा औषधालय & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथी & 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना & 89 - 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु अनुदान

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	20C22100111089010679	20C22100178989010679	20C22100179689010679	Total
					सहायता अनुदान सामान्य ,गैर. वेतन	सहायता अनुदान सामान्य ,गैर. वेतन	सहायता अनुदान सामान्य ,गैर. वेतन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Doranda	DRNMED124	Dr.Siddhartha Sanyal	Di.In.Chief H.Dirt.Jhar.Ranchi	₹16,88,60,000.00 (74973)	₹10,91,38,000.00 (74974)	₹16,25,44,000.00 (74975)	₹44,05,42,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹44,05,42,000.00 (चत्वारसीस करोड पाँच लाख बयालीस हजार) रूपये मात्र।

टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए

(AJOY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY